>

Title: Need to include Rajasthani language in the Eighth Schedule to the Constitution.

श्री भरत राम मेघवाल (श्रीगंगानगर):राजस्थानी भाषा देश में सातवें और विश्व की भाषाओं में सोलहवे स्थान पर है । राजस्थानी में तीन लाख से अधिक हस्तलिखित ग्रंथ, शब्द कोष, कहावत कोष, व्याकरण आदि इस भाषा की लोकप्रियता और शक्ति के प्रमाण हैं । राष्ट्रभाषा हिंदी जिस आदिकाल पर गर्व करती है, अधिकांशतः वह राजस्थानी का ही साहित्य है । यह वह भाषा है जिसमें मीर, दादु, रैदाश, सूर्यमल भूषण जैसे कवि हुए हैं । विद्वान यह स्पष्ट कर चुके हैं कि राजस्थान का भाषाई चरित्र खडी बोली हिंदी से बहुत अलग है । अनेक देशी और विदेशी विद्वान भी यह स्वीकार करते हैं कि भाषा के उद्गम, विकास, प्रकृति और व्याकरण की दृष्टि से राजस्थानी भाषा का हिंदी की भाषा-बोलियों के साथ साम्य नहीं है । मराठी, हिन्दी, मैथिली आदि अनेक भारतीय भाषाओं की लिपि भी तो देवनागरी ही है । जब राष्ट्रभाषा हिंदी संस्कृत की देवनागरी लिपि को अपना सकती है तो राजस्थानी या अन्य भारतीय भाषा क्यों नहीं अपना सकती? सो राजस्थानी के सामने लिपि की समस्या नहीं है । वास्तव में यह तो उसकी खूबी है ।

राजस्थानी भाषा का इतिहास 13 सौ वर्ष पुराना है और 1974 से साहित्य अकादमी से मान्यता प्राप्त है । राजस्थानी भाषा की मान्यता के लिए राजस्थान विधानसभा ने सर्वसम्मति से संकल्प प्रस्ताव पारित किया है फिर भी राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता से वंचित रखा गया है ।

राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता न मिलना न केवल हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है । बल्कि यह पेट से भी जुड़ा हुआ प्रश्न है । लगभग सभी प्रान्तों में उसी प्रांत के अभ्यार्थियों को नौकरियाँ प्राप्त हो पाती हैं जिन्होंने दसवीं की परीक्षा उस राज्य की राजभाषा से उतीर्ण की होती है । यह भाषाई अनिवार्यता इसलिए है कि उस प्रांत के लोग उस प्रांत की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक एवम् भाषाई सभी प्रकार की परिस्थितियों से परिचित होते हैं । ऐसे लोक सेवकों की सेवाएं राज्य को हर दृष्टिकोण से प्रगति के पथ पर ले जाती है ।

राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलने से राष्ट्रभाषा हिंदी सुदृढ़ होगी । राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार के अधिक अवसर प्राप्त होंगे । संवादहीनता की स्थिति समाप्त होगी । राजस्थानी भाषा से साहित्य एवं संस्कृति का विकास होगा तथा हमारा वजूद कायम रहेगा । राजस्थानी भाषा के संवर्द्धन में ही राजस्थान का सर्वांगीण विकास छुपा है ।

अतः मैं सरकार से राजस्थानी भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने हेतु आग्रह करता हूँ ।